

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अम्बेडकरनगर

पत्र सं० 197

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्रीमती शरीफुलनिशा पत्नी स्व० अब्दुल हसन ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हल तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस के क्रमांक 59 पर जो कि आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक के सम्बन्ध में सहायक परियोजना अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर की सेवा में इस कार्यालय के पत्र सं० 191/न०प० कि०/2008-09 दिनांक 10 जून 2008 को आवश्यक कार्यावाही हेतु सेवा में प्रेषित की जा चुकी है ।

पत्र की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ में प्रेषित है ।

संलग्न-कुल 3 पन्ना ।

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अम्बेडकरनगर

पत्र सं० 191

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्रीमती शरीफुल निसा पत्नी स्व० अब्दुल हसन ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हल तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस के क्रमांक 59 पर जो कि आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं० 176/न०प०कि०/2008-09 दिनांक 2 जून 2008 की आख्या पर उपजिलाधिकारी महोदय टान्डा द्वारा दिनांक 04-06-2008 को आख्या हेतु आपको निर्देशित किया गया है। कतिपय त्रुटिवश उक्त पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या प्रेषण हेतु पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – मूल प्रार्थना पत्र एवं पत्र की प्रति।

पत्र सं० 176

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्रीमती शरीफुल निसा पत्नी स्व० अब्दुल हसन ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हल तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस के क्रमांक 59 पर आपके आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आवेदक पत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती चली आ रही है।

आवास प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में है। चूँकि आवास हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सहायक परियोजना अधिकारी डूडा अम्बेडकरनगर विभाग द्वारा संचालित है इसलिए आवेदिका के उक्त विभाग में आवास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना उचित होगा। ताकि नियमतः योजना से लाभान्वित हो सके। अतः सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक – मूल प्रार्थना पत्र।

पत्र सं० 176

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्रीमती शरीफुल निसा पत्नी स्व० अब्दुल हसन ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हल तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस के क्रमांक 59 पर आपके आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आवेदक पत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती चली आ रही है।

आवास प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में है। चूँकि आवास हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सहायक परियोजना अधिकारी डूडा अम्बेडकरनगर विभाग द्वारा संचालित है इसलिए आवेदिका के उक्त विभाग में आवास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना उचित होगा। ताकि नियमतः योजना से लाभान्वित हो सके। अतः सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक – मूल प्रार्थना पत्र।

पत्र सं० 198

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्री जैनुद्दीन पुत्र मो० रफीक मोहल्ला रसूलपुर दरगाह ,वार्ड सं० 9 मकदूम नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 3-04-2008पर तहसील दिवस के क्रमांक 29 जो कि गृह गणना रजिस्टर के मकान न०23 वार्ड9 पर दर्ज किये जाने साथ परिवार रजिस्टर मे परिवार सहित अंकन के सम्बन्ध मे इस कार्यालय के पत्र सं० मेमो /न०प०कि०/2008-09 को आवेदक को लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है कि नियमानुसार अंकन की कार्यवाही की जाय ।

अतः सूचानार्थ सेवा मे प्रेषित है ।

संलग्नक - कुल पांच पन्ना ।

पत्र सं० मेमो

सूचना

श्री जैनुद्दीन पुत्र मो० रफीक
निवासी / मोहल्ला रसूलपुर दरगाह ,
वार्ड सं० 9 मकदूम, नगर पंचायत
अशरफपुर किछौछा- अम्बेडकरनगर

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04-03-08 को तहसील दिवस के क्रमांक 29 पर इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गृह गणना रजिस्टर में 123/वार्ड सं०9 पर दर्ज किये जाने के साथ परिवार रजिस्टर परिवार सहित अंकन किया जाय । मकान दर्ज किये जाने सम्बन्ध में दस्तावेज के आधार पर नक्सा एवं परिवार रजिस्टर में मकान अंकन है ।

इस लिए प्रार्थना पत्र मय नोटरी शपथ पत्र परिवार सहित अंकित कर कार्यालय में प्रस्तुत करें । तदुपरान्त नियमानुसार अंकन की कार्यावाही की जायेगी । प्रक्रिया के अर्न्तगत न करवाये जाने का पूर्ण दायित्व आप पर होगा ।

पत्र सं० 78

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्री जैनुद्दीन पुत्र मो० रफीक मोहल्ला रसूलपुर दरगाह ,वार्ड सं० 9 मकदूम नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा तहसील टान्डा जनपद अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 3-04-2008पर तहसील दिवस के क्रमांक 29 पर आप के आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आवेदन पत्र में गणना रजिस्टर मकान न०-123वार्ड सं० 9 पर दर्ज किये जाने के सम्बंध में मकान न० 123 पर श्री मुस्कीम खादिम पुत्र श्री हबीबुल्लाह के नाम दर्ज है जो वास्तव में उसमें दर्ज किया जाना न्याय संगत न होगा। जो कि आवेदक के मिल्कियत से काफी दूर हट कर मकान है, गृह गणना रजिस्टर का सर्वे वर्ष 1988 में कराया गया था। उक्त समय पर सर्वे दौरान दर्ज होने से जो मकान छूट गया था उसका प्रकाशन कराकर 35 दिन के भीतर आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त किये जाने का रहा, परन्तु आवेदक द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया था। इसलिये मकान दर्ज होने छूट गया था। मकान दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड दस्तावेज पर भवन मानचित्र स्वीकृति उपरान्त मकान बनवा लिये जाने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ स्वीकृत नक्शों की छाया प्रति प्रमाणित करा कर इस आशय के साथ प्रस्तुत किया जाय कि स्वीकृति नक्शे के अनुसार मकान का निर्माण करवा लिया हूँ। तदुपरान्त नियमतःमकान जाँचोपरान्त दर्ज किया जा सकता है।

जाँच में पाया गया है कि आवेदक मात्र छप्पर डालकर रह रहा है। मकान की शकल में नहीं है।

परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के लिए आवेदन पत्र के साथ नोटरी शपथ पत्र में परिवार का पूरा सेजरा के अनुसार प्रस्तुत करने के उपरान्त दो गवाह एवं वार्ड सदस्य के वयान के उपरान्त रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदया के आदेश किये जाने के बाद परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। आवेदक को उक्त प्रक्रिया के तहत दर्ज कराया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक – मूल प्रार्थना पत्र।

पत्र सं० 213

महोदय ,

अनुरोध करना है कि आवेदक सै० नदीमअशरफ आदि पुत्र गण नसीम व श्री अब्दुलहक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी रसूलपुर दरगाह थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा तहसील दिवस दिनांक 10-06-08 के क्रमांक 443 के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि उलिखित बात नाले से काफी अरसे से जल निकासी हो रही है। नाला यथावत् है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।

अतः सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक— मूल प्रार्थना पत्र ।

पत्र सं०-212

महोदय,

अनुरोध करना है कि श्री जहीरूनहसन पुत्र श्री माजिदहसन निवासी अशरुपुर किछौछा, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा, तहसील- टान्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर के प्रार्थना-पत्र दिनांक-9-6-08 पर आपके आदेश 16-6-08 के अनुपालन में अवगत कराना है कि आवेदन -पत्र में प्रार्थी की भूमिधरी गाटा सं०-1246 क रकबा 1-3-35 में से 0-9-0 बिस्वा का जरिये बैनामा संकमणीय भूमि धर है उस पर नक्शा भी स्वीकृत करवाया हूँ । जिसका कथन किया गया है ।

उक्त स्थान परनाली एवं खडन्जा मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और नाही अभी कोई प्रस्ताव है। आवेदक के स्वीकृत नक्शे में रास्ते के लिए 12 फुट भूमि छोड़कर निर्माण करना होगा। की स्वीकृति दी गयी है जिस पर आवेदक भी सहमत है उल्लिखित स्थान पर खन्डजा पूर्व से निर्मित है नया कोई कार्य वर्तमान मे नही हो रहा है स्वीकृत नक्शे की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है

अतः उपरोक्ता नुसार अख्या सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नक-मूल प्रार्थना पत्र एवं नक्शे की छाया प्रति प्रमाणित ।

पत्र सं०-214

महोदय ,

अनुरोध करना है कि श्री सै०नदीमअशरफ पुत्र नसीम व श्री बब्दुलहक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी- रसूलपुर दरगाह, थाना -बसखारी, जनपद -अम्बेडकरनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक-9-6-08 पर जनता दर्शन के संख्या 3345 दिनांक-9-6-08 पर आपके आदेश के अनुपालन में अवगत करान है कि तहसीलदार महोदय-टान्डा, क्षेत्रीय लेखपाल एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से जाकर मा० न्यायलय सिबिल जज सी० डी० - अम्बेडकरनगर द्वारा बाद सं०-70/2007 पर पारित स्थगत आदेश के आधार तत्काल कराया जा रहा चहारदीवाली को रोकवा दिया गया है। तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि नियमानुसार निर्माण की अनुमति प्राप्त करके ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कराया जाय।

उक्त आख्या सेवा में प्रेषित है ,सादर।

संलग्नक-मूल प्रार्थना पत्र।

पत्र सं०-221

महोदय,

अनुरोध करना है कि तहसील दिवस दिनांक-24-6-08 क्रमांक 224000065 के प्रार्थना पत्र की छाया प्रति का अवलोकन करने का कष्ट करे। प्रार्थना पत्र तालाब गाटा संव 1040 रक्बा.0.379 हे० पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने हेतु आप द्वारा आदेशित किया गया है। इसी संदर्भगत एक प्रार्थना पत्र थाना दिवस दिनांक-7.6.08 थाना बसखारी में क्षेत्रीय लेखपाल को प्राप्त हुआ था। जिसके उपरन्त क्षेत्रीय लेखपाल के साथ सथल का निरिक्षण किया गया था। सम्भवतः क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आख्या भी आपको प्रेषित की गई होगी।

अनुरोध है कि उल्लिखित तालाब से अतिक्रमण हटवाने के पूर्व तालाब की पैमाइश एवं किए गए अतिक्रमण की निशानदेही क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि० द्वारा किया जाना आवश्यक है उसके बाद पुलिस बल एवं राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवा दिया जावेगा।

अतः अनुरोध है कि तालाब की पैमाइश एवं अतिक्रमण की निशानदेही हेतु क्षेत्रीय लेखपाल / रा०नि० को तथा पुलिस बल हेतु थाना- बसखारी को अपने सतर से आदेशित करने की कृपा की जाय ताकि अतिक्रमण हटवाया जा सके।

संलग्नक- तहसील दिवस प्रमाण पत्र की छायाप्रति।